कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: हिं.अ./तिमाही बैठक-समीक्षा / 3186 दिनांक: 13 AUG 2018

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय

निदेशक, पीडीनास

विषय : आंचलिक कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन के संबंध में अनुदेश।

महोदय,

जैसा कि सभी आंचलिक कार्यालयों के प्रभारियों को विदित है कि कैडर रिस्ट्रंक्चरिंग के पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों की आंचलिक कार्यालय के स्तर पर सर्वप्रथम मॉनीटरिंग की जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति बहुत कम अंतराल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों का दौरा कर रही है। संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में आंचलिक कार्यालय को भी अपने कुछ पृष्ठ संलग्न करने पड़ते हैं जिसमें उन्हें भी राजभाषा पर्यवेक्षण संबंधी सूचनाएं देनी होती हैं। इन सूचनाओं को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जानी आवश्यक हैं:-

1. सभी आंचलिक कार्यालय अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करेंगे। जिसकी बैठक तिमाही के अनुवर्ती माह की 20 तारीख तक अवश्य कर ली जाए।
2. इस बैठक में आंचलिक कार्यालय अपने कार्यालय सहित अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषा संबंधी समस्त क्रियाकलापों की भी समीक्षा करेंगे।
3. बैठक की कार्यसूची की मदें वही होंगी जो इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या हि.अ./तिमाही बैठक समीक्षा/उत्तरी अंचल/2016 दिनांक 16.02.2017 द्वारा परिचालित की गई हैं। (प्रति संलग्न) यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर वर्ष 2016-17 के अंतर्गत प्रकाशित पत्रों/ परिपत्रों के क्रम संख्या 644 पर भी उपलब्ध है।
4. आंचलिक कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट, विज्ञापन एवं प्रचार रिपोर्ट, हिंदी शिक्षण योजना इत्यादि की भी समीक्षा उक्त बैठक में की जाए।
5. क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा उपबंधों के अनुपालन के संबंध में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए आंचलिक कार्यालय द्वारा व्यवस्था की जाए।
6. जो क्षेत्रीय कार्यालय बार-बार राजभाषा उपबंधों का उल्लंघन कर रहे हों, उन्हें आंचलिक कार्यालय के प्रभारी अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं।

7. ऐसे उपाय किए जाएं ताकि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन कदापि न किया जाए।
8. कृपया इन्हें स्थायी अनुदेश माना जाए।

भवदीय,

(के.एल.गोयल)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) / प्रभारी राजभाषा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

वैबसाईट/ Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

वेब परिचालन द्वारा

संख्या : हि.अ./तिमाही बैठक समीक्षा/उत्तरी अंचल/2016/ 10145 दिनांक: 16 FEB 2017

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (सभी अंचल एवं मुख्यालय)/निदेशक, नाटरस
सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, प्र.से.प्र., मुख्यालय सहित
सभी प्रभारी अधिकारी, उप-क्षेत्रीय कार्यालय।
सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।

विषय: क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों हेतु विचारणीय मुद्दे।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय का संदर्भ लें। राजभाषा विभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में परिवर्तन के पश्चात् मुख्यालय में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यसूची में कुछ अन्य मदों को शामिल किया जाए। तदनुसार संशोधित कार्यसूची मद इसके साथ संलग्न है।

इस संदर्भ में अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालयों में आयोजित होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में इन बिंदुओं पर चर्चा करना सुनिश्चित करें जिससे राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुचारू रूप से किया जा सके।

अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (प्रभारी राजभाषा) के अनुमोदन से जारी

भवदीया,

16/2/17

(दीपा)

उप निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. सभी उप-निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा)
2. क्षे.भ.नि.आ.(एन.डी.सी.) को वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए।

संशोधित कार्यसूची के मद

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
2. पिछली बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई और अब तक न निपटाई गई मदों पर चर्चा
3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट की तुलनात्मक समीक्षा।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात पर चर्चा।
5. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना।
6. फाइलों पर हिंदी में टिप्पण देना।
7. हिंदी (भाषा, टंकण व आशुलिपि) का प्रशिक्षण।
8. हिंदी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की स्थिति।
9. हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन।
10. जांच बिंदुओं पर चर्चा
11. वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन पर चर्चा
12. वेबसाइट पूरी तरह से द्विभाषी बनाना और अद्यतित रखना।
13. विभागीय आई.टी. सिस्टमों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा व इसका प्रयोग सुनिश्चित कराना।
14. कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनाना।
15. सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा (यूनिकोड में) उपलब्ध कराना।
16. राजभाषाई निरीक्षणों की स्थिति।
17. अनुभागों को अपना पूरा काम हिंदी में करने के लिए अधिसूचित करना।
18. मंत्रालय/विभाग से संबंधित अन्य विशेष मुद्दे।
19. मुख्यालय /क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों/परिपत्रों आदि पर चर्चा।
20. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद।

13/02/17	14/2/17	
वीणा यादव	**दीपा**	**एस.के. ठाकुर**
सहायक निदेशक (राजभाषा)	**उप निदेशक (राजभाषा)**	**अपर के.भ.नि.आ.(प्रभारी राजभाषा)**
		(लिंक अधिकारी)